POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 13.01.2026

1.थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस द्वारा साइबर स्लेवरी हेतु भारतीय युवाओं को विदेश में नौकरी के नाम पर झांसा देकर साइबर अपराधी के पास युवाओं को भेजने वाले फर्जी एजेंट गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 13.01.2026 को थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस द्वारा संकलित सूचना के आधार पर भारतीय युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर व जाल में फंसा कर विदेश में बैठे साइबर अपराधियों के पास भेजने वाले फर्जी एजेंट के विरूद्ध मु0अ0सं0 05/2026 पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त शुभम को जनपद शामली से **गिरफ्तार** किया गया है। उक्त अपराधी अब तक भारत के विभिन्न प्रान्तो के करीब 06 युवाओं को अपने जाल में फंसा कर जॉब के नाम पर विदेश में बैठे साइबर अपराधियों के हवाले किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- नोएडा सेक्टर 73 निवासी वादी मुकदमा द्वारा थाना साइबर क्राइम में दिनांक 12/01/2026 को अभियोग पंजीकृत कराया गया कि शुभम नाम के व्यक्ति द्वारा विदेश में जॉब दिलाने के नाम पर ₹80000 लिए गये एवं वादी को एयर टिकट पर थाईलैंड भेजा गया जहां से वादी को साइबर अपराधियों द्वारा कब्जे में लेकर म्यांमार देश ले जाया गया जहां पर उसको साइबर स्लेवरी में रखकर दुनिया के विभिन्न देशो के व्यक्तियों को साइबर ठगी हेतु विभिन्न सोशल मीडिया प्लेट फार्म फेसबुक इस्ट्राग्राम, टिन्डर ऐप आदि के माध्यम से ग्रेटिंग मैसेज भिजवाकर ठगी करायी जाती थी। रेस्क्यू के बाद वादी मुकदमा भारत लाया गया। पीडित की लिखित तहरीर के आधार पर सुसगंत धाराओ में एजेंट के खिलाफ थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कराया गया।
वादी द्वारा बताया गया था कि अभियुक्त शुभम से इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क हुआ था और उसने विदेश में थाइलैंड में डाटा एन्टी की जॉब दिलाने के नाम पर 80000 रुपए लिए थे। उसके बाद अपराधी अभियुक्त द्वारा थाइलैंड से म्यांमार देश में बैठे साइबर अपराधियों के हवाले कर दिया। जिनके द्वारा वादी मुकदमा से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेट फार्म फेसबुक इस्ट्राग्राम, टिन्डर एप आदि के माध्यम से ग्रेटिंग मैसेज कराकर साइबर ठगी करायी गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. शुभम पुंडीर पुत्र अरविंद सिंह निवासी ग्राम भगवान जलालपुर थाना बाबरी जिला शामली।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 05/2026 धारा 318(4), 319(2), 143(2), 238, 61(2) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट थाना साइबर क्राइम, से0 36, नोएडा, कमि0
2. मु0अ0सं0 516/2024 धारा 419,420,465,468,471,120(बी) 34 भादवि थाना- मुम्बई सिटी, मुम्बई सिटी, महाराष्ट्र।
3. मु0अ0सं0 50/2024 धारा 420,465,467,468,471भादवि थाना सीआईडी यूनिट-08, मुम्बई, महाराष्ट्र।

साइबर जागरूकता हेतु सुझाव बिन्दु--

1. विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि) के माध्यम से संपर्क करने वाले किसी भी व्यक्ति/एजेंट पर बिना सत्यापन विश्वास न करें। किसी भी एजेंट या कंपनी की वैधता, पंजीकरण, लाइसेंस एवं कार्यालय पते की विधिवत जांच अवश्य करें।
2. नौकरी के नाम पर पासपोर्ट, वीज़ा, एयर टिकट या किसी भी प्रकार की धनराशि (रजिस्ट्रेशन फीस/प्रोसेसिंग फीस आदि) अग्रिम रूप से मांगने वाले व्यक्तियों से सावधान रहें।
3. यदि किसी कंपनी से विदेश में नौकरी का ऑफर प्राप्त होता है, तो उस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, ई-मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर तथा ऑफर लेटर की प्रामाणिकता की गहन जांच अवश्य करें। संदिग्ध या अत्यधिक आकर्षक ऑफर प्रायः ठगी का माध्यम होते हैं।
4. विदेश यात्रा से पूर्व यदि किसी प्रकार का संदेह हो या सत्यापन में कठिनाई आ रही हो, तो नजदीकी पुलिस थाने की साइबर हेल्प डेस्क अथवा साइबर थाना गौतमबुद्धनगर से संपर्क कर विधिक परामर्श प्राप्त करने के उपरांत ही कोई निर्णय लें।
5. साइबर ठगी, फर्जी जॉब ऑफर या विदेश भेजकर बंधक बनाए जाने जैसी किसी भी घटना की जानकारी तत्काल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा वेबसाइट cybercrime.gov.in पर दर्ज कराएं, जिससे समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।